न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 177/2019

जसकरन कौर तलाकशुदा पत्नी श्री गुरदीप सिंह पुत्री श्री जगजीत सिंह जाति जट सिख नियासी सुरजीत सिंह कालोनी, श्री गंगानगर हाल आबाद ए–2, शालीमार बाग, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थीया

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1.	श्री फलभूरसिंह अधिवक्ता	– – प्रार्थीया
2.	पैरोकार राज	– – अप्रार्थी

– :: निर्णय ::– दिनांक :–08.01.2021

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया का अपने पति श्री गुरदीप सिंह से दिनांक 29.03.2010 को तालाक हो चुका है। न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर का आदेश एवं डिक्री दिनांक 29.03.2012 की प्रतिलिपि सलंग्न आवेदन पत्र है। प्रार्थीया के नाम से चक 2 जी बडी, पटवार हल्का खाटलवाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता स0 नया 35 पुराना 8 मु० न० 41 किला न0 1 ता 25 कल 5.948 हैक्टर नहरी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रमाणित प्रतिलिपि जमावन्दी सलंग्न आवेदन पत्र है। प्रार्थीया के नाम उक्त दर्ज कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में काश्तकार के कालम में नाम जसकरन कौर पत्नी गुरदीप सिंह पुत्री जगजीत सिंह अंकित है जबकि प्रार्थीया का प्रार्थीया के पति से वर्ष 2012 में तालाक हो चुका है तथा प्रार्थीया के अन्य पहचान दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक व राशनकार्ड में प्रार्थीया का नाम जसकरन कौर पुत्री श्री जगजीत सिंह दर्ज है इसलिए प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थीया के पति का नाम विलोपित करवाकर जमाबन्दी दुरूस्त करवाना चाहती है। प्रार्थीया एवं प्रार्थीया के पति श्री गुरदीप सिंह का विवाह विच्छेद दिनांक 29.03.2012 को होने के पश्चात् अन्य रिकार्ड में दुरूस्ती आदेश व डिक्री के आधार पर करवा ली गई है तथा उक्त विवाह विच्छेद की डिक्री आज भी प्रभाव में है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम दर्ज होने से प्रार्थीया को कृषि भूमि पर ऋण आदि लेने में व लगान भरने में व कृषि भूमि पर राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की सुविधा प्राप्त करने में दिक्कतें आ रही है तथा उक्त नाम पत्नी गुरदीप सिंह विलोपित किये जाने से राजस्व रिकार्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रार्थीया ने आज से करीब 10 रोज पूर्व पटवारी व तहसीलदार को प्रार्थीया के नाम के साथ अंकित "पत्नी गुरदीप सिंह" हटाने का निवेदन किया गया तो उन्होंने न्यायालय के आदेश के

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

बिना उक्त दुरूस्ती किये जाने से इन्कार कर दिया गया है। यही वाद कारण प्रार्थीया को अप्रार्थी के विरूद्ध प्राप्त है। राजस्व रिकार्ड चक 2 जी बड़ी पटवार हल्का खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता स0 नया 35 पुराना 8 मु० न० 41 क किला न0 1 ता 25 कुल 5.948 हैक्टर नहरी रकबा की जमाबन्दी में प्राथाया द्वारा करवाई जाने वाली दुरूस्ती का विवरण निम्न अनुसार है –

(क) पूर्व में काश्तकार के कालम में जसकरन कौर पत्नी गुरदीप सिंह अंकित है।

(ख) प्रस्तावित दुरूस्ती अनुसार "पत्नी गुरदीप सिंह" विलोपित किया जाना है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पैरा स० 8 के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया के नाम के साथ दर्ज "पत्नी गुरदीप सिंह" को विलोपित किया जाकर जमाबन्दी दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार मुताबिक जमाबंदी चक 2 जा बड़ा सच खाता संख्या 08 मुन0 41 का 5.948 है। नहरी रकबा में 5.948 है0 रकबा जसकरण कार पा पत्री जगजीत सिंह जाति जटसिख साकिन सुरजीत सिंह कालोनी श्रीगंगानगर रहन पजाब शाखा खालसा कॉलेज श्रीगंगानगर के नाम दर्ज है। उक्त रकबा में 2.340 है। रकबा जसकरण कौर द्वारा स्वअर्जित है एवं 3.604 है रकबा पुत्र इन्द्रजीत सिंह द्वारा उपहार पत्र से आया है। धारा 136 के तहत नाम शुद्व किया जाता उचित नहीं है।

–:: आदेश ::–

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी चक 2 जी बडी सम्वत् 2073–2076 खता संख्या 35/8 में मु.नं. 41, न्यायालय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 29.03.2012 की प्रति, आधार कार्ड की प्रति जसकरण कौर क्र.नं. 933002768045, परिवार राशन कार्ड की प्रति पेश की। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त रकबा में 2.340 हैक. रकबा जसकरण कौर द्वारा स्वअर्जित है एवं 3.604 हैक. रकबा पुत्र इन्द्रजीतसिंह द्वारा उपहार पत्र से आया है। धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत नाम शुद्ध किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट मुताबिक तहसीलदार(राजस्व),श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पोषणीय नही पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखित अभिलेखागार हो।

आदेश आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर अधिवक्ता प्रार्थीया को बुलाकर सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner